

MEDININAGAR NAGAR NIGAM

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 785228280922011822

Date : 28-09-2022

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री VED PRAKASH SHUKLA AND PRIYA SHUKLA,
मोहल्ला REDMA MEDININAGAR MEDININAGAR
PALAMU, 822101
9110049445

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपकी नया गृह सं - 18A0000598000M0 प्लॉट सं 18A हुआ है, आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु* निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	131.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		131.00



[Blank box for signature]

To be signed by the Applicant

नोट -

- कर निर्धारण की सूची, MEDININAGAR NAGAR NIGAM Website, uda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कडिका 11.4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित करें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूंजी कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 पूंजी के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिवाइबट दी जाएगी।
- किसी देय पूंजी को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- घर कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -स्व-घोषणा पत्र की कथनीय जानकारी तथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गत पर जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित ब्याज (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- MEDININAGAR NAGAR NIGAM द्वारा संचालित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/घाँघी को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मातृका / दरजतकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके को होशियार नभो को आडिटी अक 5/6/7/8 है तो यह विहित संरचनाओं की बेगी के अन्तर्गत मान्य जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.